

बीज सरते सप्लाई किये जायें? सबसिडाइज किये जाएं? हमारे देश में बड़ा भारी क्षेत्र पड़ा हुआ है, अगर अच्छे-अच्छे बीज दीए जाएं तो दलहन की कोई कमी नहीं रहेगी। मैं जानना चाहता हूं मंत्री जी कि आपने कोई आंकड़े नहीं दिये हैं कि कितना हमारा उत्पादन हो रहा है? कब आत्मनिर्भर हो जाएगा? आपने कहा कि अभी निश्चित नहीं है, तो कुछ आंकड़े तो होने चाहिए कि कितनी पैदावार में कमी है और कब पूरी होगी?

**श्री सोमपाल महोदय** कितनी पैदावार हो रही है, इसके आंकड़े तो मैं सदन में दे चुका हूं। उस समय संभवतः माननीय सदस्य ने सुना नहीं होगा, दोबारा मैं इनको बता देता हूं। वर्तमान में पिछले वर्ष लगभग 14.6 मिलियन टन प्रोडक्शन हुआ था। जहां तक आवश्यकता का सवाल है, हमारे मंत्रालय के एक कार्यकारी ग्रुप ने इस संबंध में कुछ आकलन किया है और 9वीं पंचवर्षीय योजना में जो दालों की आवश्यकता पड़ेगी, उसके संबंध में दो प्रकार से अनुमान लगाए गए हैं। एक तो हैदराबाद में जो पौष्टिक पदार्थों से संबंधित अनुसंधान संस्थान है, उसकी संस्तुति के हिसाब से साढ़े पंद्रह मिलियन टन की आवश्यकता पड़ेगी और दूसरा एस्टीमेट इसके लगभग करीब आता है जो की सवा सोलह मिलियन टन की बात करता है। तो इस तरह का अनुमान लगाया गया है और जहां तक यह प्रश्न है कि यह कब तक पूरा हो जाएगा, यहसही है कि बहुत सारी कठिनाईयाँ दालों के उत्पादन में आ रही हैं और उन कठिनाईयों में सबसे मुख्य कठिनाई यह है कि दलहन की जितनी भी फसलें हैं, उनको रोग बहुत लगते हैं। कीड़ों के रोग भी, वाईरस भी और दूसरे रोग भी। एक कठिनाई उसके संबंध में यह है कि ये सारी फसलें लगभग रबी और खरीफ के बीच में बोई जाती हैं और उस समय केवल यही फसल होती है। कुछ ऐसे जंगली पशु हैं जैसे नीलगाय विशेषकर जो इस फसल को बहुत हानि पहुंचाते हैं। अभी मैं पूर्वी उत्तर प्रदेश में गया था, वहां अनुमान लगाया गया कि अगर वहां नीलगाय की समस्या को हल कर दिया जाए तो अकेले उत्तर प्रदेश और बिहार का कुछ हिस्सा साढ़े तीन मिलियन टन के करीब यानि पैंतीस लाख टन दाल का उत्पादन बड़ा सकता है। कमोवेश यही स्थिति हरियाणा, राजस्थान और आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्सों में है पर उस संबंध में कुछ कठिनाई है क्योंकि नीलगाय के ऊपर प्रतिबंध है पर्यावरण और वन मंत्रालय का। कुछ धार्मिक भावनाओं की भी समस्या है। अगर सदन चाहे तो इस संबंध में कोई राय बनाई जा सकती है कि कैसे उसके ऊपर नियंत्रण किया जाए?

जहां तक बीमारियों का सवाल है, कुछ इस प्रकार की किस्मों का विकास करने के प्रयास वैज्ञानिकों के द्वारा किये जा रहे हैं कि इस बीमारी के निरोध की क्षमता वाली नस्लों का विकास किया जाए और कुछ इस तरह की इंटिग्रेटेड पेरेट मैनेजमेंट आदि विधाएं हैं जिनके माध्यम से न्यूकलीयर पॉली हाईड्रस वाईरस और दूसरे जैविक नियंत्रण के माध्यम से इन बीमारियों के ऊपर काबू पाया जाए।

तीसरी मुख्य कठिनाई आती है जल के अभाव की और सिंचाई के अभाव की। जैसा मैंने कहा, ये फसलें ज्यादातर ऐसे क्षेत्रों में उगाई जाती हैं जो सुखे से प्रस्त रहते हैं और जहां सिंचाई की सुनिश्चित उपलब्धता नहीं है। इस संबंध में सरकार सजग है और प्रयास किये जा रहे हैं कि सिंचाई की सुविधाएं वाटर शेड मैनेजमेंट और दूसरे साधनों से उपलब्ध कराई जाएं।

अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षित पदों की न भरे जाने के संबंध में शिकायतें

\*522. श्री ईश दत्त यादव:+

चौधरी हरमोहन सिंह यादव:

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों / अन्य अधीनस्थ कार्यालयों में ग्रेड-वार कितने पद स्थीरकृत हैं तथा कितने पदों पर अन्य पिछड़े वर्गों के व्यक्तियों की भर्ती खुली परीक्षाओं के आधार पर सामान्य श्रेणी के अंतर्गत की गई है,

(ख) 30 अप्रैल, 1998 तक, नई आरक्षण नीति के क्रियान्वयन के पश्चात् अन्य पिछड़े वर्गों के कितने अधिकारियों / कर्मचारियों की नियुक्ति की गयी है,

(ग) क्या अन्य पिछड़े वर्गों के उम्मीदवारों हेतु आरक्षित पदों को न भरे जाने के संबंध में शिकायतें प्राप्त हुई हैं, और

(घ) यदि हां, तो अन्य पिछड़े वर्गों के उम्मीदवारों के लिए आरक्षित पदों को भरने हेतु क्या कदम उठाए जाने का विचार है?

**कार्मिक, लोक-शिकायत और पैशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. जनार्दनम):** (क) और (ख) केन्द्रीय सरकार के अन्तर्गत पदों/सेवाओं में आरक्षण संबंधी नीति के कार्यान्वयन का उत्तरदायित्व अलग-अलग मंत्रालयों /विभागों का है। अतः अन्य पिछड़े वर्गों सहित सभी श्रेणियों की, निर्धारित प्रतिशतता के अनुसार भर्ती संबंधी कार्रवाई सीधे मंत्रालयों/विभागों द्वारा ही की जाती है।

† सभा में यह प्रश्न श्री ईश दत्त यादव द्वारा पूछा गया।

(ग) संबंध में कोई शिकायत विशेष इस विभाग के ध्यान में नहीं आई है।

(घ) उपर्युक्त (ग) के मद्देनजर प्रश्न नहीं उठता।

**SHRI H. HANUMANTHAPPA:** Sir, the hon. Minister is saying that it is the responsibility of the individual departments. Is he replying on behalf of the Government or on behalf of departments? Here, the Question is for the Government. The reply says, "It is the responsibility of the individual departments." Sir, all departments are part of the Government.

**MR. CHAIRMAN:** I will call you afterwards and you can put your supplementary at that time.

**श्री ईश दत्त यादवः** मान्यवर, सभापति जी, मैं आपके माध्यम से माननीय प्रधान मंत्री जी से आग्रहपूर्वक निवेदन करूंगा कि जो मैंने प्रश्न पूछा था कि भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालय / अन्य अधीनस्थ कार्यालयों में ग्रेडवार कितने पद स्वीकृत हुए हैं तथा कितने पदों पर अन्य पिछड़े वर्गों के व्यक्तियों की भर्ती खुली परीक्षाओं के आधार पर सामान्य श्रेणी के अंतर्गत की गयी है तथा तीस अप्रैल 1998 तक, नई आरक्षण नीति के क्रयान्ययन के पश्चात अन्य पिछड़े वर्गों के कितने अधिकारियों / कर्मचारियों के नियुक्ति की गयी है? मेरा प्रश्न सीधा यह था और इसका उत्तर आना चाहिए — श्री हनुमनतप्पा जी सही कह रहे थे कि इसका उत्तर न देकर यह लिखित उत्तर दिया गया है कि चपन का कार्य, उत्तरदायित्य जो है, वह अलग अलग मंत्रालयों का है। हमने आपसे चयन की प्रक्रिया नहीं पूछी है कि कौन चयन करता है। कौन सा मंत्रालय चयन करता है इससे हमारा कोई मतलब नहीं है। हमारा सीधा प्रश्न यह है कि कितना चयन 30 अप्रैल 1998 तक हुआ और इसमें पिछड़े वर्ग के लोगों को कितना स्थान दिया गया? इसका उत्तर प्रधान मंत्री जी की ओर से नहीं आया है। इसलिए मान्यवर, मैं प्रधानमंत्री जी से पुनः आग्रह पूर्वक अपने प्रश्न के भाग "क" और (ख) का उत्तर चाहता हूं। पहले प्रधान मंत्री महोदय हमारे मूल प्रश्न का उत्तर दे दें उसके बाद हम कोई पूरक प्रश्न पूछेंगे।

**प्रधानमंत्री (श्री अटल बिहारी वाजपेयी):** सभापति महोदय, पिछड़े वर्ग से संबंधित लोगों की नियुक्ति मंत्रालयों और विभागों के द्वारा होती है। आंकड़े यहां रहते हैं। मैं यह

स्वीकार करता हूं कि जो उत्तर दिया गया है, उसमें सभी आंकड़े इकट्ठे करके सदन के सामने रखे जाने चाहिए थे। मैं ऐसा करूंगा, यह मैं आश्वासन देता हूं।

**श्री ईश दत्त यादवः** सभापति महोदय, एक और प्रश्न मैं पूछना चाहता हूं। मैं एक ही सप्लीमेंटरी पूछूंगा और सम्प्रवत्तया इसके संबंध में भी माननीय प्रधान मंत्री जी विचार करेंगे। आंकड़े तो यह देंगे ही। अब एक विज्ञासा मेरी है कि उच्चतम न्यायालय के निर्णय के अनुसार एक आयोग बना था और उस आयोग ने यह फैसला दिया था कि एक लाख रुपये तक जिस बच्चे के माता-पिता की आय है, वह बच्चा क्रीमी लेयर के अन्तर्गत आ जाएगा। आज मान्यवर, रुपये का धीरे-धीरे अवमूल्यन हो रहा है, रुपये की कीमत घट रही है और एक लाख तो बहुत से लोगों की बल्कि अधिकांश लोगों की आय हो गयी है। सभी बच्चों ... (व्यवधान)...

**श्री संघ प्रिया गौतमः** आप अपनी तो नहीं बता रहे हैं, ... (व्यवधान)...

**श्री ईश दत्त यादवः** सुनिए, जरा धैर्य तो रखिए। प्रधान मंत्री जी बैठे हैं, आपको गौतम जी थोड़ा अनुशासित रहना चाहिए ... (व्यवधान) ... आप सुनिये, आप हमें राय मत दीजिए। इसलिए मैं माननीय प्रधान मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या आप इस तरह का पुनः कोई आयोग बिठाएंगे? जो यह एक लाख की सीमा क्रीमी लेयर की है, अब इनइफेक्टिव हो रही है। इससे पिछड़े वर्ग के सभी लोगों को लाभ नहीं हो रहा है। तो क्या आप इस तरह का कोई आयोग बिठाएंगे जो पुनः इस पर विचार करे और क्रीमी लेयर के लिए आय की सीमा जो एक लाख रुपये निर्धारित की गयी है, उसको पढ़ाया जाए?

**MR. CHAIRMAN:** This supplementary does not arise from this Question. But, if the Government wants to reply, it can reply.

**SHRI S.R. BOMMAI:** Sir, after an assurance by the hon. Prime Minister to bring the entire facts before the House, there should have been no more supplementary questions. The question should have been withheld.

**MR. CHAIRMAN:** As the Prime Minister has given an assurance, the question can be asked in the next session, and they can discuss it.

**श्री राम देव भंडारीः** सर, मेरा प्रश्न पालिसी मैटर से संबंधित है। ... (व्यवधान)...

**श्री ईश दत्त यादव:** सर, प्रधान मंत्री जी क्रीमी लेयर पर कुछ कहना चाहते हैं, मुझे ऐसा आभास हो रहा है इसलिए उनका उत्तर सदन में आ जाना चाहिए।

**श्री अटल बिहारी वाजपेयी:** सभापति जी, क्रीमी लेयर का मामला है, इसमें मेरी भी रुचि है। जब एक लाख की राशि तय की गई थी तब परिस्थिति अलग थी अब परिस्थिति बदल गई है। एक लाख रुपये की राशि को बढ़ाने का वक्त आ गया है और शीघ्र ही इस संबंध में कदम उठाए जायेंगे।

**श्री रामदेव भंडारी:** सर, पालिसी मैटर से संबंधित प्रश्न है, कोई आंकड़े से संबंधित नहीं है।

**श्री प्रमोद महाजन:** सर, पालिसी मैटर तो क्वेश्चन आवर में पूछा ही नहीं जाता है।

**श्री रामदेव भंडारी:** सर, मैं जानना चाहता हूं कि सरकार ने मंडल कमीशन के अन्तर्गत ओबीसी को आरक्षण दिया है। कुछ ऐसे ओबीसी उम्मीदवार होते हैं जो सामान्य कोटि में कम्पीट कर जाते हैं। मुझे ऐसी जानकारी है कि जो उम्मीदवार सामान्य कोटि में कम्पीट कर जाते हैं उनको भी आरक्षित कोटि में रख दिया जाता है। मैं प्रधान मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जो ओबीसी के उम्मीदवार सामान्य कोटि में कम्पीट करते हैं उनको सामान्य कोटि में रखा जाता है और जो बाकी रह जाते हैं, जो सामान्य कोटि में कम्पीट नहीं करते हैं तो उनको आरक्षित कोटि में रखा जाता है या नहीं? मैं प्रधान मंत्री जी से इस संबंध में स्पष्टीकरण जानना चाहता हूं।

**श्री अटल बिहारी वाजपेयी:** सभापति जी, कुल मिलाकर आरक्षण कितना है और उसका लाभ जिस प्रतिशत में तय किया गया है, उसके अनुसार है या नहीं है यह देखा जाता है और इसलिए दोनों कोटि में आने वाले उम्मीदवारों की गणना की जाती है।

**श्री रमा शंकर कौशिक:** सभापति जी, यह प्रश्न ऐसा है जो दिल्ली से यानी इस सचिवालय से ही संबंधित है। इसके आंकड़े यहीं से इकट्ठे हो सकते हैं तो यह प्रश्न तो अल्पसूचित प्रश्न के रूप में भी आ सकता है। श्रीमन् आपने अभी जो निर्देश दिये वह यद्यपि दिये हैं कि अगले सेशन में आप इस प्रश्न को रखिएगा तब होगा। जब माननीय प्रधान मंत्री जी स्वयं इसका उत्तर देने के लिए तैयार है और ये बीजें किसी जिले में नहीं जानी है, किसी राज्य में नहीं जानी है, केवल यहीं से इसके संबंध में आंकड़े इकट्ठे करने हैं तो मैं समझता हूं कि 29 तारीख तक का समय काफी है। इसलिए इस प्रश्न को स्थगित करके अगले सप्ताह में लाने का आप निर्देश दें।

**श्री सभापति:** 29 तारीख तक का समय काफी नहीं है सरकार के लिए सब कुछ इकट्ठा करना।

ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में प्रति व्यक्ति आय-

523. चौधरी हरमोहन सिंह यादव:+

**श्री ईश दत्त यादव:**

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी क्षेत्रों की तुलना में प्रति व्यक्ति आय कितनी है,

(ख) क्या दोनों क्षेत्रों की प्रति व्यक्ति आय में अन्तर बढ़ता जा रहा है, और

(ग) इस अन्तर को कम करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये जाने का विचार है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय में राय मंत्री (श्री राम नाईक):

(क) से (ग) विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

**विवरण**

(क) केन्द्रीय सांस्थिकीय संगठन (सीएसओ) द्वारा वर्ष 1970-71, 1980-81 (अन्तिम) के संबंध में निबल घरेलू उत्पाद (एनडीपी) की वृष्टि से परिगणित किये गए ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में आय के अनुमान निम्नानुसार हैं —

प्रति व्यक्ति निबल घरेलू उत्पाद।

(रु. / प्रतिवर्ष वर्तमान कीमतों पर)

	1970-71	1980-81	1990-91 (अन्तिम)
1. ग्रामीण	529	1245	3510
2. शहरी	1294	2888	9579
3. शहरी- ग्रामीण	2.4	2.3	2.7
असमानता (2)/(1)			

(ख) शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के बीच वर्तमान कीमतों पर प्रति व्यक्ति आय में असमानता, 1970-71 में 2.4 गुने से 1980-81 में 2.3 गुना, असानता में कमी दिखाती है। तथापि, 1990-91 के लिए अनतिम अनुमान में तदनुरूप अनुपात 2.7 है।

(ग) शहरी-ग्रामीण असमानताओं, विशेषकर आय और उपभोग, मैं कमी लाने का लक्ष्य कृषि और अन्य ग्रामीण गतिविधियों पर और अधिक ध्यान केन्द्रित करके प्राप्त किया जाना है। सरकार के राष्ट्रीय एजेंडा में कृषि को योजना निधियों का 60 प्रतिशत उद्दिष्ट करते हुए तथा कृषि में सार्वजनिक निवेश, ग्रामीण विकास, सिंचाई